ORIGINAL APPLICATION NO. 139 /2023

KRISHANRANI AGRAWAL

VS.

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS

BRIEF OF THE COMPLAINT	Reference
According to the complainant there is illegal cutting of trees in the green belt and construction on the green belt and pollution from sewerage/septic tank. The complainant raises a matter relating to the environment and environmental loss to the public at large.	The illegal cutting of tree of the present case is being dealt by the Hon'ble Court in **O.A. No. 17/2023** and vide order dated 11.09.2023, a committee has been constituted to submit the matter.

ORIGINAL APPLICATION NO. 139 /2023

KRISHANRANI AGRAWAL

VS.

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS

MEMO OF PARTIES

Applicant:

Krishnarani Agrawal
Mob:9826098008

Respondent:

1. State of Madhya Pradesh through District Magistrate, Bhopal
2. Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal, M.P.
3. Member Secretary, MPPCB
4. Prakasah Grih Nirman Sehkari Sanstha Maryadit through Vice President, 46, Prakash Nagar, Bijli Colony, Govindpur, Bhopal, 462023 Mob: 9685168687

Email

Registrar NGT, CZB, Bhopal

GOVINDPURA Industrial Area,Bhopal से रायसेन रोड (NH-86Ext.) वाली 100Feet रोड के ग्रीन बेल्ट Green Belt पर अवैध निर्माण और हरे-भरे पेड़ों की कटाई के बाबत

From : krishnaraniagrawal1@gmail.com — Wed, Sep 20, 2023 09:31 AM

Subject : GOVINDPURA Industrial Area,Bhopal से रायसेन रोड (NH-86Ext.) वाली 100Feet रोड के ग्रीन बेल्ट Green Belt पर अवैध निर्माण और हरे-भरे पेड़ों की कटाई के बाबत

4 attachments

To : Registrar NGT, CZB, Bhopal <ngtczbbho-mp@gov.in>

महोदय, विषयअंतर्गत आपके संज्ञान में बात लाना चाहती हूं कि बुजुर्ग महिलाओं,बच्चों की कॉलोनी -प्रकाश नगर के समीप *Green Belt* ग्रीन बेल्ट (As per Approve from T own & Country Planning,Deptt. MP Govt.)जोकी 100Feet चौड़ी रोड के नजदीक है| उस ग्रीन बेल्ट के हरे-भरे पेड़ों को Cutting करके अवैध निर्माण किया जा रहा है इसके संबंध में पूर्व में भी मध्यप्रदेश प्रदूषण मंडल को सूचित किया गया था| उस ग्रीन बेल्ट के हरे-भरे पेड़ की सिंचाई वहां पर स्थित S.T. Septic Tank (सेप्टिक टैंक) के ओवरफ्लो से होती थी, परंतु उस S.T. -Septic Tank(सेप्टिक टैंक) को तोड़कर के वहां पर अवैध निर्माण किया गया, जिसके कारण पूरा ओपन सीवरेज (पेशाब,लैट्रिन जल-मल,मूत्र) मुख्य सड़क के पास बह रह है| जिसके कारण प्रकाशनगर कॉलोनी,Ward-70,Govindpura,Bhopal के पार्क में एकमात्र बोरवेल (भूजल का स्रोत) प्रदूषित हो गया है| महिलाओं को अपमानित करने वाले अवैध निर्माण के Encroacher/s द्वारा अनैतिक कार्य उस ग्रीन बेल्ट(Green Belt)वाली जगह पर किए जा रहे हैं| *जनहित में तथा महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य* को देखते हुए NGT-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को तुरंत संज्ञान लेकर के अवैध निर्माण को Demolished करने के आदेश पारित किया जाए और विनम्र अनुरोध है कि Encroacher's पर भारी भरकम जुर्माना लगाते हुए आदेश देने की कृपा करें .प्रकाश नगर के Resident Welfare Association पूर्व में भी संस्था के अध्यक्ष को इस बाबत पत्र लिख चुके है|

NGT, CZB, BHOPAL
Receipt No. : 600
Date : 20-09-2023.

Public Complaint
20/09/2023

दैनिक भास्कर 12-09-2023

सेंट्रल और साइड वर्ज के ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण जांचेगी कमेटी : एनजीटी

IMG-20230912-WA0003.jpg
52 KB

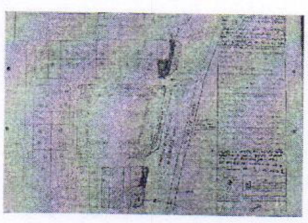

IMG-20220919-WA0002.jpg
137 KB

O.A. No. 139-2023-CZ

दैनिक भास्कर भोपाल 12-09-2023

भी किया जाएगा।

सेंट्रल और साइड वर्ज के ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण जांचेगी कमेटी : एनजीटी

भोपाल | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा भोपाल की सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट पर प्लांटेशन को हुए नुकसान की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में डीएफओ भोपाल, नगर निगम आयुक्त और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि को शामिल किया है। एनजीटी ने कमेटी से 29 सितंबर तक पूरे मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कमेटी पता लगाएगी कि कितने पेड़ काटे गए, ग्रीन बेल्ट की कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और जमीन का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है?

O.A. No. 139-2023-CZ

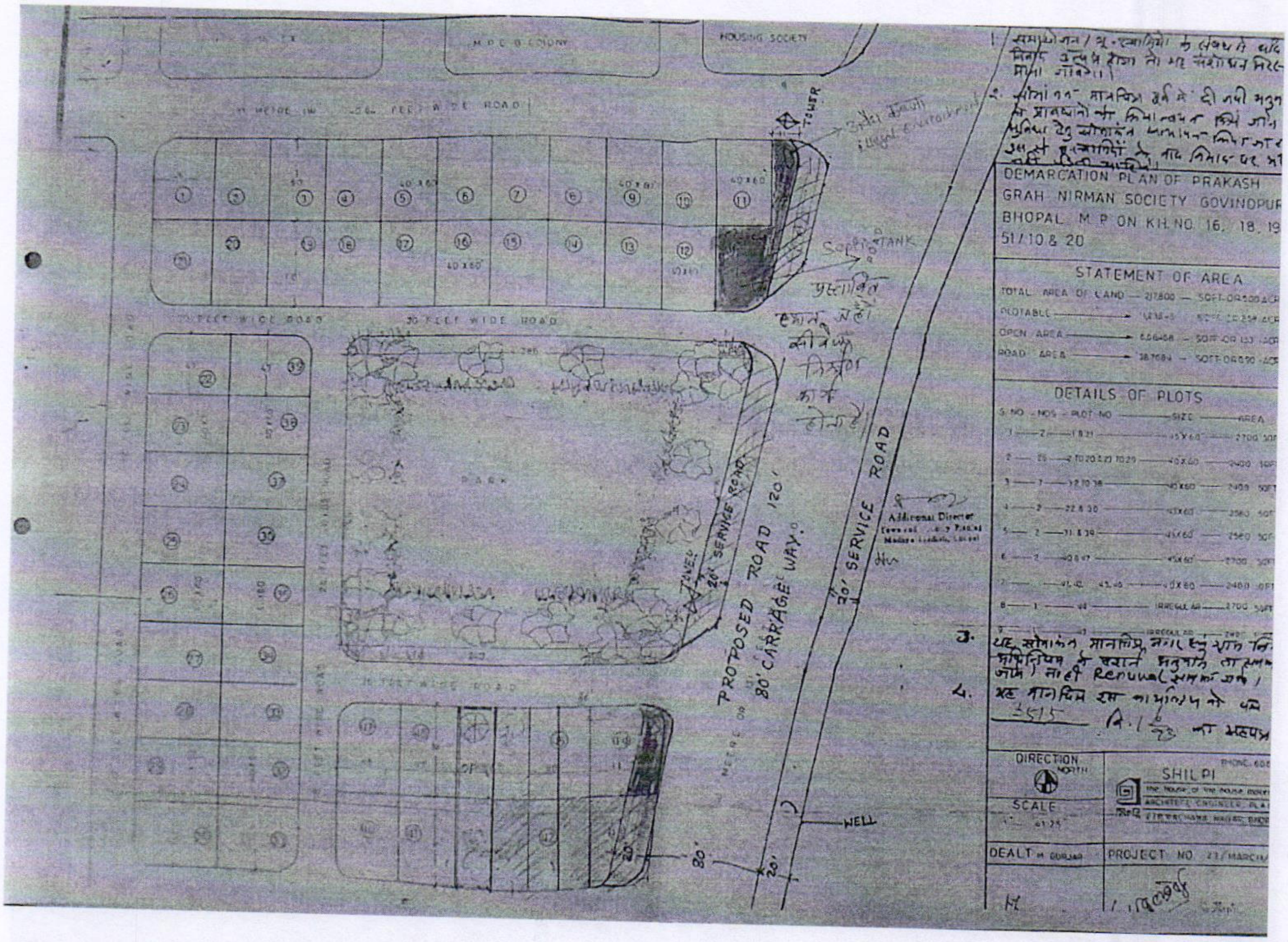

O.A. No. 139-2023-CZ

O.A. No. 139-2023-CZ